



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02072025-264247
CG-MH-E-02072025-264247

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2816]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2025/आषाढ़ 6, 1947

No. 2816]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2025/ASHADHA 6, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 24 जून, 2025

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 7A के तहत

का.आ. 2883(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी, “मध्य रेलवे के अंतर्गत अतिरिक्त होटगी बायपास लाइन” (5.85 कि.मी.) की विशेष रेल परियोजना के भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिला में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी (CALA)	तालुका	गांवों के नाम
1.	उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्र. ०३, सोलापूर	दक्षिण सोलापुर	अलेगांव, औज, हिपाले और होटगी स्टेशन.

[फा. सं. G197/2025/SUR/Hotgi Bypass/7A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 24th June, 2025

Under clause 7A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 2883(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “**Competent Authority**” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway **project “Additional Hotgi Bye Pass line”** (5.85 Km.) of Central Railway Taluka Mentioned in Column of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

S. No.	Competent Authority	Taluka	Villages
1	Deputy Collector, Land Acquisition No 03, Solapur	South Solapur	Alegaon, Auj, Hipale & Hotagi Station.

[F.No. G197/2025/SUR/Hotgi Bypass/7A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Const.)